

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	: उद्योग विभाग
अतारांकित प्रश्न संख्या	: 1233
उत्तर की तिथि	: 17.09.2020
विषय	: खड्डों की नीलामी
प्रश्नकर्ता का नाम	: श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर)
सम्बन्धित मन्त्री	: उद्योग मन्त्री

<u>प्रश्न</u>	<u>उत्तर</u>
(क) यह सत्य है कि वर्ष 2018 में सरकार ने खड्डों व दरियाओं की नीलामी की थी; यदि हां, तो नीलामी से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ;	(क) और (ख) जी हाँ, वर्ष 2018 में सरकार द्वारा लघु खनिज के दोहन हेतु जिला कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, चम्बा, सिरमौर, बिलासपुर, व मंडी में 113 खड्डों/दरियाओं की नीलामी मु0 27.46 करोड़ रु0 प्रति वर्ष की दर पर की गई। निविदा एवं नीलामी की शर्तों के अनुरूप मु0 6.94 करोड़ रु0 विभाग को अग्रिम भुगतान व रॉयल्टी के रूप में राजस्व प्राप्त हुआ है। नीलाम की गई खड्डों/दरियाओं का जिलावार ब्यौरा <b>अनुलग्नक 'क'</b> पर संलग्न है।
(ख) किस जिले में कितनी खड्डों की नीलामी हुई; ब्यौरा जिलावार दें; और	

<p>(ग) किन जिलों में नीलामी हेतु एफ0सी0ए0 लागू है तथा किन में एफ0सी0ए0 की छूट प्रदान की गई है; ब्यौरा दें?</p>	<p>(ग) प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (एफ0सी0ए0,1980) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का कानून लागू है। इस कानून के तहत वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य करने हेतु केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है व इसमें किसी भी प्रकार के कार्य, जिसमें खनन भी शामिल है, को छूट का प्रावधान नहीं है। अतः खनन कार्य के लिए भी इस अधिनियम के तहत भारत सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018 में नीलाम की गई खानों/खड्डों का जिलावार ब्यौरा

क्रम सं०	जिला का नाम	नीलामी का वर्ष	नीलाम की गई खानों/खड्डों की संख्या	प्रति वर्ष के आधार पर बोली की कुल राशि (करोड़ रू०)	कार्यान्वित खानों/खड्डों की संख्या	अग्रिम राशि (करोड़ रू०)	रॉयल्टी के रूप में प्राप्त राजस्व (करोड़ रू०)	कुल राजस्व (करोड़ रू०)	खानों/की संख्या जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 को आकर्षित करती है।
1.	बिलासपुर	2018	4	1.830	0	0.227	0	0.227	4
2.	चम्बा	2018	2	1.150	0	0.575	0	0.575	2
3.	कांगड़ा	2018	17	2.214	1	0.836	0.10	0.936	0
4.	कुल्लु	2018	19	3.725	0	0.109	0	0.109	19
5.	मण्डी	2018	40	4.397	0	0.994	0	0.994	40
6.	शिमला	2018	9	3.875	0	0	0	0	9
7.	सिरमौर	2018	2	1.504	0	0.130	0	0.130	2
8.	ऊना	2018	6	3.480	4	0.870	1.772	2.642	0
9.	हमीरपुर	2018	14	5.289	0	1.322	0	1.322	0
कुल योग			113	27.464	5	5.063	1.872	6.935	76